न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
घनश्याम बनाम राज. सरकार
GCMS No- 2023/352
प्रकरण संख्या 47/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 47/2023
जीसीएमएस न0 2023/352

1. घनश्याम पुत्र भगवाना जी रेगर निवासी बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बदामीबाई पत्नी भगवाना जी रेगर निवासी बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

––– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण

दिनांकः–10.10.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा बाड़ी पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 118 के आराजी नंबर 1061 रकबा 0.2300 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी न. 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा बाड़ी पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 119 के आराजी नंबर 1160 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु. चाह, आराजी नंबर 1161 रकबा 0.2300 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है। उक्त आराजियात जिसके नये आराजी नंबर 1061 जिसके पुराने आराजी नं. 792/700 रकबा 18 बिस्वा एवं वर्तमान आराजी नंबर 1160 व 1161 के पूराने आराजी नंबर 791/700 मीन रकबा 19 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही हैं उक्त आराजियात जो पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं थी, तथा वर्तमान सेटलमेंट के नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की आराजी नंबर 1061 को आम रास्ता आराजी नंबर 1159 के पूर्वी दिशा में दर्शा दी गयी है, जबकि उक्त आराजियात प्रार्थीगण की आराजी नंबर 1161 से लगी होकर उक्त रास्ते से पश्चिम दिशा में ही स्थित हैं, तथा मौके पर प्रार्थी की आराजी नंबर 1060,1160 व 1161 मौके पर एकचक होकर मिली हुई हैं, प्रार्थीगण का रास्ते के पूर्वी दिशा में कोई कब्जा कभी भी नहीं रहा हैं। राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस आराजी नं. 1061 को गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है, जो पूराने नक्शा ट्रेस में तरमीम [illegible] इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत [illegible] तरमीम हो गया हैं तथा उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थीगण [illegible] नहीं किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण की आराजी नंबर 1061 को रास्ते [illegible] चम दिशा में जहां पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है उ[illegible] अनुसार नवीन नक्शा [illegible] व राजस्व रेकॉर्ड में इंद्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:34:01 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि प्रार्थी श्री मुकेश द्वारा ग्राम बाड़ी की साबिक आराजी नंबर 791/700 रकबा 19 बिस्वा व 792/700 रकबा 18 बिस्वा जिसके नये नंबर 1160 व 1161 बने हैं, को दौराने सेटलमेंट नवीन नक्शे में गलत दर्शाया गया है नवीन नक्शे में उक्त आराजी रास्ते के पूर्वी दिशा में दर्शा दी गयी जबकि मोके अनुसार रास्ते के पश्चिम में अंकित कराने बाबत् निवेदन किया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाड़ी की साबिक आराजी नंबर 700 जिसमें से भूमि आवंटित हुई है रास्ते के पूर्वी ओर ही थी व नवीन नक्शे में भी उक्त आराजी नंबर 700 जिनके नये नंबर 1160,1161 आदि बने हैं रास्ते के पूर्वी ओर ही दर्शाये गये है। साबिक नक्शे व नवीन नक्शे में कोई अंतर नहीं होने के कारण प्रकरण निरस्त योग्य है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम बाडी की खाता संख्या 118 के आराजी नंबर 1061 रकबा 0.2300 हैक्टेयर नवीन नक्शा ट्रेस में पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि चाही [illegible] आराजियात के साबिक नक्शे व नवीन नक्शे में कोई अंतर है। ऐसी स्थिति में [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:34:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
घनश्याम बनाम राज. सरकार
GCMS No- 2023/352
प्रकरण संख्या 47/2023

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10..2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:34:01 IST
Reason: SelfAttested